India Broadband
O/o Telecom District Manager
2nd Floor, Microwave Bhawan
Near Kashi Talab, Sadar
Betul Distt.Betul, 460001 (M.P.)
Tele.-07141 232800, Fax :239900
Email id:- tdmbtl@gmail.com

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Bharat Sanchar Nigam Limited
(A Govt. of India Enterprise)

पत्र क्रःडब्ल्यू-1-1010/नोफन फेस-।। /पत्राचार/19-20/ 14 — दिनांक 08.08.2019

प्रति,

वनमंडलाधिकारी उत्तर
बैतूल (सामान्य) वनमंडल
बैतूल (म.प्र.)

**विषयः- बैतूल एस.एस.ए. में नोफन प्रोजेक्ट फेस-।। के अंतर्गत केबल डालने हेतु 2.270 हेक्ट वनभूमि के प्रस्ताव में औपचारिक स्वीकृति जारी किये जाने बाबत्।**

**संदर्भ** :-1. आपका पत्र कं. मा.चि./2019/2773 बैतूल — दिनांक 24.04.2019
2. आपका पत्र कं. मा.चि./2019/3463 बैतूल — दिनांक 16.05.2019
3. फारेस्ट प्रपोसल नं.- FP/MP/OFC/35125

उपरोक्त विषय के संबंध मे लेख है कि आपके द्वारा उक्त प्रकरण में बैतूल एस.एस.ए. में नोफन प्रोजेक्ट फेस-।। के अंतर्गत भूमिगत आप्टीकल केबल डालने हेतु 2.270 हेक्ट. वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति "राइट आफ वे" के अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा निम्न दर्शित शर्तो के अधीन जारी की है।

| कं | शर्तो का विवरण | शर्तो का पालन |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि व्यपवर्तन की यह स्वीकृति केवल मार्ग के किनारे-किनारे "राइट आफ वे" तथा उपरोक्त दर्शित जी.पी.एस. रिडिंग के अंतर्गत आने वाली भुमि के लिए ही दी जा रही है। (राइट आफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे - किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।) | मान्य है। |
| 2 | वनभुमि पर आप्टिकल फाइबर केबल /भूमिगत केबल टेलिफोन लाइन बिछाने के लिये खोदे जाने वाजी खंती का आकार 1.65 मी. गहरा तथा 0.45 मी. चौडाई से अधिक नही होगा। यदि 0.45 मी. चौडाई एवं 1.65 मी. से गहराई से अधिक खुदाई पाई गई, तो नियमानुसार प्रचलित वन विधानों के अंतर्गत संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। | मान्य है। |
| 3 | वनभुमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा। | मान्य है। |
| 4 | वनभुमि का उपयोग प्रस्ताावित कार्य को छोडकर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा। | मान्य है। |
| 5 | बिछाई गई भूमिगत ओ.एफ.सी. लाइन के रखरखाव की अनुमति आवेदक संस्थात द्वारा मॉग करने पर अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा पृथक से दी जावेगी। | मान्य है। |
| 6 | समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती के निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा। | मान्य है। |
| 7 | समतलीकरण का कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यता हो तो वन क्षेत्र उत्खनन नहीं किया जायेगा। | मान्य है। |
| 8 | नाली खोदते समय वृक्षो को हानि नहीं पहुचाई जायेगी तथा खंति में आने वाले वृक्षों की जडों को नहीं काटा जायेगा और न ही किसी भी वृक्षों की कटाई छटाई की जावेगी। | मान्य है। |
| 9 | यदि आवेदक /आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या भुमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुचाई जाती है तो वनमंडल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक /आवेदक संस्थान से देय होगी। | मान्य है। |
| 10 | यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं अधोहस्ताक्षर (वनमंडलाधिकारी) द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है, तो यह शर्त संस्थान को मान्य होगी। | मान्य है। |
| 11 | यह स्वीकृति "राइट आफ वे" के तहत केवल वन विभाग के अधिपत्य की वनभूमि के लिये जारी की जा रही है, यदि प्रकरण में राजस्व वनभूमि प्रभावित होती है तो आवेदक संस्थान इसके लिये जिम्मेदार होगा। | मान्य है। |
| 12 | यदि आवेदक संस्थान द्वारा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, तथा संस्थान के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। | मान्य है। |
| 13 | प्रकरण में 100 रू. की राशि आनलाईन कैम्पा खाते के Others मद में जमा कराना सुनिश्चित हो चुका है। | मान्य है। ई-चालान की प्रति संलग्न है |

अतः उक्त खण्ड 01 से 13 तक शर्तवार पालन हेतु बी.एस.एन.एल. विभाग की इस वचन पत्र के माध्यम से बाध्यता रहेगी।

संलग्नः आनलाइन चालान की प्रति (कैम्पा खाता)

Sd/-
सहायक महाप्रबंधक (योजना)
कार्या. दूरसंचार जिला प्रबंधक बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय उत्तर वनमंडल (सा.) आवक क्र. ... दि. 9/8/2019

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141–23420(कार्यालय), E-Mail dfonbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2019/ 2773 बैतूल, दिनांक/ 24/4/19

प्रति,

सहायक महाप्रबंधक (योजना)
भारत संचार निगम लिमि. कार्या. दूरसंचार
जिला प्रबंधक, बैतूल

विषय :- बैतूल एस.एस.ए. में नोफन प्रोजेक्ट फेस - II के तहत वन विभाग की अनुमति बाबत् I
( BSNL NOFN PROJECT 2.270 Hec.)

संदर्भ :- 1– म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक–एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 भोपाल दिनांक 18.11.2004 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 14.12.2005 तथा 01.07.2009 एवं पत्र क्रमांक–एफ–5–11 / 2006 / 10–3 भोपाल दिनांक 31.05.2014
2– अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. / एफ–5 / विविध / 2018 / 10–11 / 3076 दिनांक 04.10.2018
3– मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल का पृ. पत्र क्रमांक / माचि. / 4986 दिनांक 06.10.2018 एवं पत्र क्रमांक / 1846 दिनांक 16.04.2019
4– परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर (सा.) का पत्र क्र. / 83 दिनांक 14.01.2019
5– आपका पत्र क्र. / डब्ल्यू–1–1010 / नोफन फेस–II पत्रा. / 18–19 दिनांक 26.09.2018 एवं पत्र क्रमांक / जी–1 / नोफन / उ.म.अ.तार. / बैतूल / 2018–19 दिनांक 19.01.2019

—000—

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से शाहपुर, बैतूल एवं रानीपुर परिक्षेत्रों के कक्षो में रकबा-- 2.270 हे. में भूमिगत ओ.एफ.सी. केबल लाईन डालने हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव की पृविष्टि भारत सरकार की वेब साईट– www.forestclearance.nic.in पर दिनांक 26.09.2018 को ऑनलाईन की जाकर प्रस्ताव की हार्डकॉपी वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत की गई। प्रस्ताव अनुसार वनमंडल अन्तर्गत आवेदित क्षेत्र का संयुक्त स्थल निरीक्षण वन विभाग एवं बी.एस.एन.एल. बैतूल के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा किया गया। परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर (सा.) संदर्भित पत्र दिनांक 14.01.2019 एवं आपके संदर्भित पत्र दिनांक 19.01.2019 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शाहपुर, बैतूल एवं रानीपुर परिक्षेत्रों के अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र की कुल लंबाई 50455 मीटर में मार्ग के किनारे–किनारे डाली जाने वाली भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन का वनकक्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. | परिक्षेत्र | कक्ष क्रमांक | ओ.एफ.सी. लाईन की लंबाई (मी.में) | ओ.एफ.सी. लाईन की चौड़ाई (मी.में) | आवेदित वनक्षेत्र (हे.में) | आवेदित स्थल की जी.पी.एस.रीडिंग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | प्रारंभिक | अंतिम |
| 1 | Shahpur | RF-226 | 2700 | 0.45 | 0.122 | N 22 10 17.89<br>E 77 52 22.59 | N 22 09 12.87<br>E 77 49 30.97 |
| 2 | Shahpur | RF-182 B | 1500 | 0.45 | 0.068 | N 22 13 19.160<br>E 77 45 27.216 | N 22 12 38.092<br>E 77 55 49.725 |
| 3 | Shahpur | RF-182 A | 1600 | 0.45 | 0.072 | N 22 13 43.698<br>E 77 45 13.806 | N 22 13 19.160<br>E 77 45 27.216 |
| 4 | Shahpur | RF-180 | 2400 | 0.45 | 0.108 | N 22 14 01<br>E 77 45 05 | N 22 13 43<br>E 77 44 01 |
| 5 | Shahpur | RF-175 | 3000 | 0.45 | 0.135 | N 22 13 38<br>E 77 43 31 | N 22 12 57<br>E 77 42 34 |
| 6 | Shahpur | - | 4200 | 0.45 | 0.189 | N 22 10 26<br>E 77 40 39 | N 22 10 14<br>E 77 42 31 |
| 7 | Shahpur | RF-172 | 3800 | 0.45 | 0.171 | N 22 10 26<br>E 77 40 39 | N 22 09 39<br>E 77 40 41 |
| 8 | Ranipur | P-905 | 655 | 0.45 | 0.029 | N 21.929337<br>E 78.056544 | N 21.928168<br>E 78.052005 |

cc AGM(Plg)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Betul | P-426 | 4300 | 0.45 | 0.194 | N 22.100824<br>E 87.8826 | N 22.123735<br>E 77.884452 |
| 10 | Betul | RF-247 | 4700 | 0.45 | 0.212 | N 22.100808<br>E 77.878948 | N 22.1[illegible]09<br>E 77.887016 |
| 11 | Betul | RF-248 | 1800 | 0.45 | 0.081 | N 22.123739<br>E 77.884456 | N 22.136454<br>E 77.890520 |
| 12 | Betul | RF-246 | 3800 | 0.45 | 0.171 | N 22.126316<br>E 77.887598 | N 22.140036<br>E 77.891705 |
| 13 | Betul | RF-244 | 3900 | 0.45 | 0.176 | N 22.136612<br>E 77.890529 | N 22.153489<br>E 77.894624 |
| 14 | Betul | RF-245 | 1900 | 0.45 | 0.086 | N 22.140039<br>E 77.891705 | N 22.153489<br>E 77.894624 |
| 15 | Betul | P-1624 | 2000 | 0.45 | 0.090 | N 21.921547<br>E 77.881741 | N 21.921338<br>E 77.876250 |
| 16 | Betul | P-462 | 3000 | 0.45 | 0.135 | N 21.922851<br>E 77.867331 | N 21.919808<br>E 77.846651 |
| 17 | Betul | P-463 | 1500 | 0.45 | 0.068 | N 21.922677<br>E 77.867435 | N 21.919854<br>E 77.846898 |
| 18 | Betul | P-1650 | 1500 | 0.45 | 0.068 | N 21.923486<br>E 77.842254 | N 21.924759<br>E 77.842118 |
| 19 | Betul | P-1649 | 2200 | 0.45 | 0.099 | N 21.921232<br>E 77.825889 | N 21.919575<br>E 77.818116 |
| | | **Total:-** | **50455** | | **2.270** | | |

मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल पत्र क्रमांक/ 1846 दिनांक 16.04.2019 द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्राप्त अनुशंसा एवं परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर (सा.) एवं आपसे प्राप्त प्रतिवेदन मय पंचनामा के आधार पर शाहपुर, बैतूल एवं रानीपुर (सा.) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रभावित वनक्षेत्र 2.270 हे. में मार्ग के किनारे–किनारे "राईट ऑफ वे" के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 18.11.2004 एवं 01.07.2009 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार जी.पी.एस. रीडिंग के अंतर्गत भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की **सैद्धांतिक सहमति** निम्न दर्शित शर्तो के अधीन जारी की जाती है:–

01. वनभूमि व्यपवर्तन की यह स्वीकृति केवल मार्ग के किनारे–किनारे "राईट ऑफ वे" तथा उपरोक्त दर्शित जी.पी.एस.रीडिंग के अंतर्गत आने वाली वनभूमि के लिए ही दी जा रही है (राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारें–किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है)।
02. वनभूमि पर आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खन्ति का आकार 1.65 मीटर गहरा तथा 0.45 मीटर चौड़ाई से अधिक नही होंगा। यदि 0.45 मीटर चौड़ाई एवं 1.65 मीटर गहराई से अधिक खुदाई पायी गई, तो नियमानुसार प्रचलित वन विधानों के अंतर्गत संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
03. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
04. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
05. बिछाई गई भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन के रखरखाव की अनुमति आवेदक संस्थान द्वारा मांग करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पृथक से दी जावेगी।
06. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ति के निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
07. समतलीकरण का कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन् नहीं किया जायेगा।
08. नाली खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जायेगी तथा खन्ति में आने वाले वृक्षों की जड़ो को नहीं काटा जायेगा और न ही किसी भी वृक्षों की कटाई छटाई की जावेगी।
09. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या भूमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।

10. यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय वनसंरक्षक एवं अधोहस्ताक्षर (वनमंडलाधिकारी) द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है, तो यह शर्त संस्थान को मान्य होगी।

11. यह स्वीकृति "राईट ऑफ वे" के तहत केवल वन विभाग के आधिपत्य की वनभूमि के लिए जारी की जा रही है, यदि प्रकरण में राजस्व वनभूमि प्रभावित होती है तो आवेदक संस्थान इसके लिये जिम्मेदार होगा।

12. यदि आवेदक संस्थान द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, तथा संस्थान के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. प्रकरण में 100 रू. की राशि ऑनलाईन कैम्पा खाते के Others मद में जमा करना सुनिश्चित करे।

यह स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से जारी की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 13 तक के पालन से संबंधित वचनपत्र एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर कार्य सम्पादन हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी, जिसके उपरांत आवेदक संस्थान संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित कर मौके पर कार्य प्रारंभ कर सकेंगें।

25/4/19

वनमंडलाधिकारी,
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल
बैतूल , दिनांक 24/4/19

पृ.क्र. / मा.चि. / 19 / 2774

प्रतिलिपि :–

1– अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2– मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3– कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि यह सैद्धांतिक सहमति आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वन विभाग के आधिपत्य में आने वाली वनभूमि के लिए ही जारी की जा रही है। सैद्धांतिक सहमति में राजस्व विभाग के अधीन छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि तथा अन्य भूमियाँ सम्मिलित नहीं है। यदि आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व विभाग के छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में खुदाई की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वनमंडल कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की जा सके।

4– उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर , बैतूल एवं सारनी (सा.) / परिक्षेत्राधिकारी शाहपुर, बैतूल एवं रानीपुर (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पूर्व आवेदक संस्थान को वन भूमि पर कोई कार्य न करने देवें।

वनमंडलाधिकारी,
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

**AGENCY COPY**

**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

**Date : 05-08-2019**

| | |
|---|---|
| Agency Name. | BSNL BETUL MP |
| Application No. | 7135125183 |
| MoEF/SG File No. | FP/MP/OFC/35125/2018 |
| Location. | MADHYA PRADESH |
| Address. | BSNL OFFICE NEAR KASHI TALAB BETUL (M.P.)Betul |
| Amount(in Rs) | 100/- |

**Amount in Words** :One Hundred Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | MADHYA PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150767135125183<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

**BANK COPY**

**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

**Date : 05-08-2019**

| | |
|---|---|
| Agency Name. | BSNL BETUL MP |
| Application No. | 7135125183 |
| MoEF/SG File No. | FP/MP/OFC/35125/2018 |
| Location. | MADHYA PRADESH |
| Address: | BSNL OFFICE NEAR KASHI TALAB BETUL (M.P.) Betul |
| Amount(in Rs) | 100/- |

**Amount in Words** :One Hundred Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | MADHYA PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150767135125183<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

**After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in**

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

| | |
|---|---|
| Reference ID: | 181846764 |
| Transaction Type: | NEFT Payment |
| Debit Account Number: | 0081000400137523 |
| Beneficiary Nickname: | BETUL NORTH |
| Beneficiary Bank Name: | CORPORATION BANK |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Amount(INR): | INR 100.00 |
| Transaction Date:(dd/MM/yyyy): | 06/08/2019 |
| Frequency Type: | One Time |
| Remark: | BETUL NORTH CAMPA |